

28.09.2022:—पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं
मुल वादी-पत्र खारिज हो चुका अदम पैरवी/
अदम हाजरी से तो प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही
शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

